उत्तर प्रदेश सरकार,
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ , उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति
(वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)

मृतक आश्रित के रूप में सहायक परिचालक के पदों पर भर्ती-2018 के अन्तर्गत संगत सेवा नियमावली एवं विद्यमान शासनादेशों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रक्रिया

परिशिष्ट- 1

पत्र संख्या: पीआरपीबी-एक-1-मृ0आ0(03)2018 दिनांक:मई 03 2018

1) शारीरिक दक्षता परीक्षा का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष एवं सदस्य होंगेः-
   1. जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर – अध्यक्ष
   2. जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्साधिकारी-सदस्य
   3. जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक- सदस्य

जहां विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

2) मृतक आश्रित के रूप में सहायक परिचालक के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरूष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी0 (किलोमीटर) की दौड़ 28 मिनट के भीतर और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी0 (किलोमीटर) की दौड 16 मिनट के भीतर पूर्ण करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे असफल घोषित किये जायेगें।
3) समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेषपरिवर्तन से बचने के लिए किया जायेगा।
4) समिति नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगाः-
   क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।
   ख) इस परिशिष्ट के नियम-2 में उल्लिखित न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।
   ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
   घ) संगठनात्मक समिति, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही/ या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।
   ङ) सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची समिति के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।
   च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये उच्च दक्षता के उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा।

छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

ज) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु सम्बन्धित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

झ) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

3.5.18

अपर सचिव, प्रोन्नति
उ0प्र0पुलिस भर्तीएवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।